केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली, **New Delhi – 110067**

द्वितीय अपील/ Second Appeal/ No.:- CIC/BATRC/A/2024/136459

श्री पी0 भाऊराव डी

.... अपीलकर्ता /Appellant

VERSUS
बनाम

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई, महाराष्ट्र।

...प्रतिवादीगण /Respondent

सुनवाई की तिथि : 05.01.2026

निर्णय की तिथि : 08.01.2026

मुख्य सूचना आयुक्त : राज कुमार गोयल

अपील से प्राकट्य सुसंगत तथ्य:

आरटीआई आवेदन दाखिल करने की तिथि	07.05.2024
सीपीआईओ के जवाब की तिथि	14.06.2024
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.07.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की तिथि	04.09.2024
द्वितीय अपील/शिकायत दाखिल करने की तिथि	12.01.2024

आदेश

तथ्य :

1. अपीलकर्ता ने दिनांक 07.05.2024 के प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के संकल्प/आदेश/कार्यालय ज्ञापन की प्रति, जिसके आलोक में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के विशेष सेल ने दिनांक 25.08.2022 की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के 41 आदिवासी जातियां (अनुसूचित जनजाति ST) को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित कर दिया गया है के साथ–साथ भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अनुसूचित जाति/जनजाति कार्मिकों के लिए विशेष सेल के उस संकल्प/आदेश/कार्यालय ज्ञापन की प्रति, जिसके अनुसार बार्क में कार्यरत्त अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजातियों के प्रमाण

पत्रों की जांच संबंधित राज्यों में प्रचलित नीति/नियमों के अनुसार जांच की जाएगी, की मांग कुल दो बिंदुओं के अंतर्गत की थी। **अपीलकर्ता के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिनांक 15.06.1995 के अपने संकल्प संख्या के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध 41 अनुसूचित जनजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में बदल दिया गया था और इसी के आलोक में बार्क के अनुसूचित जाति/जनजाति सेल ने भी उपरोक्त परिवर्तन किए हैं।**

2. संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार श्री बी0 वी. बालाजी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–सह–सीपीआईओ ने दिनांक 14.06.2024 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को जवाब प्रेषित किया, जिसमें यह अवगत कराया गया था कि अपीलकर्ता ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के तहत सूचना नहीं माना जा सकता है, और मांगी गयी जानकारी उपलब्ध भी नहीं है। बहरहाल, प्राप्त जवाब से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में सीपीआईओ के जवाब से सहमति प्रकट की।

3. व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रस्तुत द्वितीय अपील आयोग के समक्ष संस्थित किया है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि संचिका में अपीलकर्ता द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 12.01.2024 को दाखिल द्वितीय अपील की एक प्रति प्रतिवादी पक्ष को प्रेषित किए जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

5. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में सीपीआईओ, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्री स्टानली एम0 के0 ने दिनांक 26.12.2025 के अपने लिखित प्रतिवेदन में अपीलकर्ता के प्रस्तुत आवेदन के निस्तारण के संबंध में उपरोक्त तथ्यों को दुहराया है तथा बताया है कि अपीलकर्ता द्वारा अपेक्षित सूचना रिकार्ड का हिस्सा नहीं है और अपीलकर्ता का प्रस्तुत आरटीआई आवेदन सूचना के अधिकार का दुरूपयोग है। अपीलकर्ता ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन में अनावश्यक उद्धरणों को बार–बार दुहराया है, जो विशिष्ट जानकारी से अलग हैं। प्रतिवेदन में तदनन्तर यह बताया गया है कि अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार नियमों के अंतर्गत 500 शब्दों की सीमा का उलंघन भी किया है।

सुनवाई के दौरान प्राकट्य सुसंगत तथ्यः

प्रस्तुत वाद की सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। सुनवाई के दौरान निम्नलिखित उपस्थित थेः–

अपीलकर्ताः श्री पी0 भाऊराव डी एनआईसी के थाने स्टूडियो में।

प्रतिवादी पक्षः श्री स्टानली एम0 के0, सीपीआईओ, एनआईसी के मुम्बई स्टूडियो में।

6. अपीलकर्ता का कहना था कि उनके प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान नहीं की गयी हैं। आयोग द्वारा पूछे जाने पर अपीलकर्ता ने स्पष्ट किया कि बार्क के अनुसूचित जाति/जनजातियों के विशेष सेल के दिनांक 25.08.2022 की 13वीं बैठक के कार्यवृत के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के 41 आदिवासी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है। यह परिवर्तन महराष्ट्र राज्य के दिनांक 15.06.1995 के संकल्प के अनुसार किया गया है। प्रस्तुत आवेदन के बिंदु संख्या 1 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार के उसी संकल्प की प्रति की मांग की गयी है। इसी प्रकार, बार्क में कार्यरत्त अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजातियों के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित राज्यों में प्रचलित नीति/नियमों के अनुसार करने का संकल्प भी बार्क के अनुसूचित जाति/जनजाति सेल द्वारा पारित किया गया है। इस संकल्प की प्रति की मांग आवेदन के बिंदु संख्या 2 के अंतर्गत की गयी है। लेकिन उपरोक्त अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें प्रदान नहीं की गयी है।

7. प्रतिवादी पक्ष की दलील थी कि प्रथम तो अपीलकर्ता के प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से अपेक्षित सूचना स्पष्ट तथा विशिष्ट नहीं है तथा यह अपीलकर्ता के अनुमानों पर आधारित है और इस संदर्भ में रिकार्ड में कोई सूचना उपलब्ध भी नहीं है। तदनुसार अपीलकर्ता को दिनांक 14.06.2024 के पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था। प्रतिवादी पक्ष ने तदनन्तर यह बताया कि भारत सरकार के द्वारा जारी निर्णय/आदेश केन्द्र सरकार के संगठनों पर लागू होते हैं और सारे नियम लोक प्रक्षेत्र में उपलब्ध हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में इस तथ्य से अपीलकर्ता को अवगत करा दिया है।

निर्णय

8. संचिका में उपलब्ध तथ्यों तथा सुनवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी दलील के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के संदर्भ में सीपीआईओ, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई, महाराष्ट्र ने दिनांक 14.06.2024 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को जवाब/सूचना प्रेषित की है, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता ने कुछ निष्कर्ष

निकाले हैं, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के तहत सूचना नहीं माना जा सकता है, और मांगी गयी जानकारी उपलब्ध भी नहीं है।

9. प्रस्तुत संदर्भ में यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत एक जन सूचना अधिकारी संबंधित प्राधिकरण के रिकार्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है। एक जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उस सूचना का निर्माण करे, जो रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। उससे यह भी अपेक्षित नहीं है कि वह सूचना की व्याख्या करे अथवा परिकल्पित प्रश्नों का जवाब दे। आयोग की राय में अपीलकर्ता द्वारा अपेक्षित सूचना के संदर्भ में उन्हें रिकार्ड के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित जवाब प्रेषित कर दिया गया है। अतः प्रस्तुत संदर्भ में आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

Sd/-
Raj Kumar Goyal (राज कुमार गोयल)
Chief Information Commissioner (मुख्य सूचना आयुक्त)

Authenticated true copy
(अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति)

Bijendra Kumar (बिजेंद्र कुमार)
Dy. Registrar (उप-पंजीयक)
011-26186535

Copy to:

P Bhaorao D
Flat No. 605, Shri Residency
CHS, Sector - 18, Plot No.
22, Kharghar, Navi Mumbai,
Maharashtra - 410210
Maharashtra,Mumbai City,410210

The CPIO,
Bhabha Atomic Research Centre,
Central Complex, 3rd Floor,
BARC, Trombay, Mumbai,
Maharashtra - 400085